THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Creating - Better India
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स
बेहतर भारत के निर्माण की ओर
National Headquarters राष्ट्रीय मुख्यालय
Society Registration No. S462 of 1950-1951

President
DR. ANIL KUMAR JAIN, M.P. (RAJYA SABHA)
डॉ. अनिल कुमार जैन, सांसद (राज्य सभा)

Chief National Commissioner
DR. K.K. KHANDELWAL, I.A.S. (RETD.)
डॉ. के.के. खण्डेलवाल, भा.प्र.से. (से.नि)

Ref. No. BSG/NHQ. D-3-19/2652/2021-22 Date: 02/02/2022

To
The State Secretary
The Bharat Scouts and Guides
Madhya Pradesh State
State Headquarters
Shanthi Marg, Shyamala Hills
Bhopal (Madhya Pradesh)

SUB.:-Submission of the Draft State Bye Laws of Madhya Pradesh State BS&G- Approval ...reg.

REF.:-1. Your letter no. 3079/R.K./R.M./2021-22, dated 03/01/2022.
2. This Office letter no. BSG/NHQ.D-5-25/581/2021-22, dated 07/06/2021.
3. **This Office letter no. BSG/NHQ/D-5-25/311/2021-22, dated 23/04/2021.**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the State Bye-Laws of the Bharat Scouts and Guides, Madhya Pradesh State duly approved by the Competent Authority, for your kind perusal.

Thanking you,

Yours Sincerely,

(Raj Kumar Kaushik)
Director

Encl.:- As above.

Copy submitted to the Hon'ble Chief National Commissioner of the Bharat Scouts and Guides for his kind information.

C. c. to:- 1. The State Chief Commissioner, Madhya Pradesh State BS&G for kind information.
2. Administrative Officer, BS&G, NHQ.
3. Assistant Director, BS&G, Central Region.
4. AS-1, BS&G, NHQ.

DIR/ADO/AS-1/02 Feb. 2022

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

—: उप नियम :—

राज्य मुख्यालय

शांति मार्ग, स्मार्ट रोड, श्यामला हिल्स भोपाल 4620017

Website:www.bsgmp.net E_mail:bsgmadhyapradesh@gmail.com

Phone ✆: 2661263

— : प्रस्तावना :—

राज्य की भौगोलिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य संघ को राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट एवं गाइड नई दिल्ली द्वारा 1957 से मान्यता दी गयी है ।

स्काउट एवं गाइड एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो भारत स्काउट एवं गाइड विश्व स्काउट ब्यूरो एवं विश्व गर्ल गाइड गर्ल स्काउट संगठन से संबद्ध संस्था है । विश्व स्तर पर युवाओं की आवश्यकता अनुरूप लक्ष्य एवं सिद्धांतो के क्रियान्वयन में परिवर्तन हुये है । फलस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर आवश्यकता को देखते हुये नियमावली में परिवर्तन किये गये है । जिसका प्रभाव राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय व ग्रुप स्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था व नियमावली पर भी हुआ है ।

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य संघ के प्रथम उप नियम राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र क्र0/डी–3–17/2562/97–98 दिनांक 30/10/1997 से मान्य किया गया था, जिसमें यह धारा भी जोड़ी गयी थी कि "समय समय पर राष्ट्रीय परिषद द्वारा ए.पी.आर.ओ. भाग–1, 2, 3 एवं रूल्सबुक में किये गये संशोधन यथावत मान्य होगें ।

दिनांक 24 नवम्बर 2019 की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में रूल्सबुक में संशोधित व पारित, राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र क्र0/बीएसजी/एनएचक्यू/डी–3–1098/2020–21 दिनांक 7 मई 2020 एवं 29 नवम्बर 2020 की राष्ट्रीय परिषद में संशोधित मान्य प्रस्ताव प्राप्त हुये है इसके अनुक्रम में दिनांक 26 मार्च 2020 की मध्यप्रदेश की राज्य परिषद बैठक की में लिये निर्णय अनुसार राज्य संघ उप नियम का प्रारूप तैयार कर राष्ट्रीय मुख्यालय को प्रेषित किया गया जिसे राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र क्र0/डी–5–25/311/2021–22 दिनांक 23 अप्रेल 2021 से आवश्यक संशोधन के साथ उपनियम की प्रति प्रेषित की गयी । इसमें आवश्यक संशोधन कर कार्यालय के पत्र क्र0/3505/रामु/मु.लि./2021–22 भोपाल दिनांक 31/03/2021 से राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया एवं राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र क्र0/डी–5–25/311/2021–22 दिनांक 23/04/2021 से मान्य किया गया ।

इस उपनियम की पुस्तिका को प्रस्तुत करते हुये में राज्य मुख्य आयुक्त श्री पारसचन्द्र जैन तथा राज्य परिषद एवं राज्य कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का आभारी हूँ । साथ ही मैं श्री डी0एस0राघव राज्य आयुक्त (कब) एवं अध्यक्ष उपनियम संशोधन समिति, श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर संयुक्त राज्य सचिव, श्री हरिदत्त शर्मा राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) का विशेष आभारी हूँ जिन्होने अपने दीर्घ अनुभव के आधार पर उप नियम तैयार करने का दायित्व पूर्ण किया ।

(अशोक जनवदे)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
राज्य संघ उप नियम

धारा–1 **नाम :–** संस्था का नाम ''भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश'' होगा। संस्था से आशय भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मध्यप्रदेश से है ।

धारा–2 **उप नियम :–** यह उप नियम भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य संघ के उप नियम कहलाएगें।

धारा–3 **सम्बद्धता :–**

1. यह संस्था भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय लक्ष्मी मजूमदार भवन, 16 महात्मा गॉधी मार्ग इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली –110002 से सम्बद्ध होगी। । **(रूल्स धारा 49)**

2. राष्ट्रीय परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित संम्बद्धता शुल्क एवं व्यक्तिगत वार्षिक पंजीयन शुल्क प्रतिवर्ष राज्य संघ द्वारा वित्तीय वर्ष में देय होगी एक वर्ष से अधिक विलंब होने पर मुख्य राष्ट्र आयुक्त द्वारा अधिकतम 6 माह की समय–सीमा बढ़ाई जायेगी किन्तु उस अवधि के बाद शुल्क का भुगतान न होने पर राष्ट्रीय परिषद एवं कार्यकारिणी में राज्य संघ के सदस्य प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे। **(रूल्स धारा 51)**

3. राष्ट्रीय संघ द्वारा निर्धारित उद्देश्य, नीति एवं संगठन के प्रति राज्य संघ प्रतिबद्ध होगें तथा राष्ट्रीय संघ के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील रहेगें । **(रूल्स धारा 50)**

धारा–4 **पंजीकृत कार्यालय :–**

इस संस्था का पंजीयन कार्यालय राज्य मुख्यालय भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश स्मार्ट रोड, श्यामला हिल्स भोपाल पिन कोड 462002 में रहेगा । **(रूल्स धारा–52)**

धारा–5 **कार्य क्षेत्र :–**

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य संघ भोपाल का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा। **(रूल्स धारा–47)**

राज्य संघ के समस्त पत्राचार, वाद–विवाद, न्यायालयीन प्रकरण राज्य सचिव के नाम से संधारित किये जा सकेगें।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा– 19 की उपधारा–1 के अनुसार राज्य मुख्यालय में निम्नानुसार अधिकारी होंगे।

1. लोक सूचना अधिकारी – राज्य सचिव
2. अपीलीय अधिकारी – राज्य मुख्य आयुक्त

धारा–6 **पंजीकरण :–**

यह संस्था भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय, 16 महात्मा गांधी मार्ग इंद्रप्रस्थ स्टेट नई दिल्ली द्वारा संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त है। भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय संगठन विश्व स्काउट संगठन स्काउट ब्यूरो एवं वर्ल्ड गर्ल गाइड गर्ल स्काउट एसोशिएसन से मान्यता प्राप्त एवं सोसायटीज एक्ट 1860 के 21 वे अधिनियम के अंतगत पंजीकृत संस्था है। राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त एवं संचालक के संयुक्त हस्ताक्षर से भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश को राज्य संघ के रूप में कार्य करने हेतु अधिकार–पत्र जारी किया जाता है। **(रूल्स धारा 49)**

71

धारा–7 **परिभाषाएं :–**

अ– संस्था :– संस्था का अर्थ भारत स्काउट एवं गाइड्स मध्यप्रदेश होगा।

ब– स्काउटर :– स्काउटर का अर्थ इस संगठन से संबंद्ध वह व्यक्ति है, जिसे संस्था के स्काउट विभाग का वैध नियुक्ति पत्र (वारंट) प्राप्त हो।

स– गाइडर :– गाइडर का अर्थ संगठन से सम्बद्ध वह महिला है, जिसे संस्था के गाइड विभाग का वैद्य नियुक्ति पत्र (वारंट) प्राप्त हो।

द– स्काउट ग्रुप :– स्काउट ग्रुप की वह ईकाई हैं, जिसमें स्काउट विभाग के तीनों पूर्ण दल जैसे कब पैक, स्काउट ट्रूप, रोवर क्रू सम्मिलित हो। इसमें से एक या एक से अधिक उप इकाइयों का भी स्काउट ग्रुप संगठित किया जा सकेगा है।

य– गाइड ग्रुप :– गाइड ग्रुप का अर्थ हैं, जिसमें गाइड विभाग के तीनों पूर्ण दल यथा बुलबुल, फ्लॉक, गाइड कंपनी तथा रेन्जर टीम सम्मिलित हो। इसमें एक या एक से अधिक ईकाइयॉ मिलकर भी गाइड ग्रुप का संगठन किया जा सकेगा है।

धारा–8 **उददेश्य :–**

आन्दोलन का उद्देश युवाओं के विकास में इस तरह योगदान करना है, जिससे उनकी पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा अध्यात्मिक अन्तःशक्तियों की क्षमता विकसित कर उन्हें एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में एवं स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों में एक सदस्य के रूप में सक्षम बना सके ।

धारा–9 **लक्ष्य साधन एवं प्रक्रिया :–**

इस संस्था के निधार्रित लक्ष्य :– इस संस्था के निधारित लक्ष्य स्काउटिंग–गाइडिंग के क्रियाकलापों द्वारा उक्त उद्दश्यों एवं उक्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संस्था के विभिन्न संगठनात्मक माध्यमों एवं साधनों की सहायता से बालक/बालिकाओं एवं युवक/युवतियों मे विभिन्न प्रशिक्षणों द्वारा निम्न लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा :–

1– "ईश्वर/धर्म" के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना।

2– चरित्र निर्माण कर उत्तम नागरिक बनाना।

3– शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक एकता औंर नैतिक गुणों का विकास करना।

4– स्काउट और गाइड कलाओं का सैद्धान्तिक औंर प्रायोगिक ज्ञान देना।

5– निरीक्षण, आत्मानुशासन औंर आत्म निर्भरता के गुणों को विकसित करना।

6– राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित करना औंर दूसरों की सेवा करने के लिये प्रेरित करना एवं पारस्परिक सहयोग की शिक्षा देना, ।

7– स्वतः के लिए उपयोगी कलाओं और हस्तकलाओं पर प्रशिक्षण देना, औंर समाज के लिए उपयुक्त सेवा कार्यो में प्रशिक्षित करना।

8– जाति, समुदाय, धर्म, या वर्ग मे निरपेक्ष रूप से सोहार्द पूर्वक रहने औंर उनकी सेवा करने की शिक्षा देना।

9– सामाजिक विकास एवं समान उद्देश्य औंर लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्थापित अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग कार्य करना।

10– स्काउट/गाइड के नियमों का प्रचार करना औंर उन्हें अपने दैनिक आचरण में अंगीकार करना।

70

धारा–10 **प्रतिज्ञा एवं नियम :–**

अ– प्रतिज्ञा–

1– मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं यथा शक्ति ईश्वर औंर अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा/करूंगी।

2– दूसरों की सहायता करूंगा/करूंगी। औंर

3– स्काउट/गाइड नियम का पालन करूंगा/करूंगी।

ब– नियम–

1– स्काउट/गाइड विश्वसनीय होता हैं।

2– स्काउट/गाइड वफादार होता/होती हैं।

3– स्काउट/गाइड सबका/सबकी मित्र होता/होती है एवं प्रत्येक दूसरे स्काउट/गाइड का भाई/बहन होता/होती है ।

4– स्काउट/गाइड विनम्र होता/होती हैं।

5– स्काउट/गाइड पशु–पक्षियों को मित्र औंर प्रकृति प्रेमी होता/होती हैं।

6– स्काउट/गाइड अनुशासनशील होता/होती हैं, औंर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करता/करती हैं।

7– स्काउट/गाइड साहसी होता/होती हैं।

8– स्काउट/गाइड मितव्ययी होता/होती हैं।

9– स्काउट/गाइड मन, वचन औंर कर्म से शुद्व होता/होती हैं।

धारा–11 **सदस्यता :– (रूल्स – 53)**

अ– मध्यप्रदेश के समस्त जिला संघ के सदस्य भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश के सदस्य होगे। इस संस्था की सदस्यता उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो संस्था के लक्ष्य एवं उद्‌देश्यों में विश्वास एवं आस्था रखता हो । **(रूल्स धारा 53)**

ब– राज्य मुख्य आयुक्त की अनुमति से राज्य संघ में कुछ समयावधि के लिये निवासरत ऐसे विदेशी नागरिक को भी संस्था का सदस्य बनाया जा सकेगा, जो संस्था के लक्ष्यों एवं उद्‌देश्यों में विश्वास और आस्था रखता है तथा जिसने निम्नानुसार स्काउट/गाइड की प्रतिज्ञा ग्रहण की हों।

अ– प्रतिज्ञा–

1– मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं यथा शक्ति ईश्वर औंर भारत देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा/करूंगी।

2– दूसरों की सहायता करूंगा/करूंगी। औंर

3– स्काउट/गाइड नियम का पालन करूंगा/करूंगी।

धारा–12 **सदस्यों की श्रेणियॉ :– (रूल्स धारा 54)**

भारत स्काउट्‌स एवं गाइड्‌स मध्य प्रदेश की निम्नानुसार सदस्यता होगी :–

अ– समस्त जिला संघ भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश ।

ब– राज्य संघ के मौजूदा आजीवन सदस्य। (राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिनॉक 24/11/2019 में पारित एवं संशोधित एवं राष्ट्रीय मुख्यालय के पत्र क्र.BSG/NHQ/D-3-1/098/2020/21 दिनॉक 07/05/2020 से जारी नवीन नियमानुसार, पूर्व के मौजूदा आजीवन सदस्य)

धारा–13 **(रूल्स धारा 55)**

1. राज्य संघ में व्यक्तिगत सदस्यता नहीं होगी सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत और जिला संघ के प्रतिनिधि ही राज्य परिषद के सदस्य होंगे।
2. राज्य परिषद को यह कार्य करने की शक्ति होगी कि सदस्यता की कोई भी रिक्तता न रखी जावे ।
3. राज्य परिषद का कोई सदस्य जो अपने पद के कारण सदस्य है, की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी, जब वे संबंधित पद पर नहीं हों।
4. यदि कोई सदस्य राज्य परिषद और राज्य कार्यकारिणी का सदस्य जिला संघ के प्रतिनिधि के रूप में है तो जिला संघ के भंग होने पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
5. जिला स्तर पर सभी पदाधिकारी संबधित जिला संघ के सदस्य होगें ।

69

धारा–14 **सदस्यता समाप्ति :– (रूल्स धारा 56)**

1– अगर कोई सदस्य अपराधिक प्रकरण में दोषी सिंद्ध हो, नैतिक कदाचरण में लिप्त पाये जाने पर उसकी सदस्यता एवं अवार्ड/उपाधि समाप्त की जा सकती है।

2– यदि कोई इकाई या स्थानीय /जिला/राज्य/राष्ट्रीय परिषद् का कोई सदस्य जो निरंतर किसी अन्य संस्था/संगठन को सहायता कर रहा हो जो लिखित रूप से प्रकाशन/मीडिया में सुनिर्धारित दुष्प्रचार जो मूल संस्था के विपरीत करता है एवं कार्य से मूल संगठन का अहित हो व साख पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो उसके विरूद्ध जांच संस्थित कर पर्याप्त अवसर देने के बाद भी दोषी पाये जाने पर सदस्यता समाप्त की जा सकेगी ।

3– यदि कोई सदस्य जो समानांतर संगठन में स्काउट–गाइड संस्था के नाम या पदनाम का दुरूपयोग करते हुये अनुचित लाभ ले रहा हो अथवा ऐसे संगठन को बढावा देने तथा सहयोग करने की गतिविधियों में लिप्त पाये जाने के प्रमाण पाये जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जायेगी।

4– राज्य संघ अथवा परिषद का सदस्य या पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर राष्ट्रीय कार्यकारणी द्वारा अनुमोदित एवं संशोधित आचार संहिता का उल्लघन किये जाने पर उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी ।

5– राज्य के बाहर पदाधिकारियों के स्थानांतरण होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जावेगी

6– सदस्यता समाप्त करने के प्रकरण में जिला संघ कार्यकारिणी समिति के निर्णय का अनुमोदन राज्य मुख्य आयुक्त को भिजवाया जावेगा। राज्य मुख्य आयुक्त की अनुशंसा पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम औंर सर्वोपरि होगा। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप व्यक्ति सदस्यता से वंचित कर दिया जायेंगा।

7– व्यक्ति के पागल होने अथवा मृत्यु अथवा त्याग पत्र देने पर ।

धारा–15 **सदस्यता पंजी :–**

संस्था के कार्यालय में एक श्रेणीवार सदस्यता पंजी रखी जावेगी। प्रत्येक सदस्य से संबंधित निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे, जिसे राज्य सचिव द्वारा प्रमाणित किया जावेगा :–
सदस्य का पूरा नाम/पिता/पति का नाम/जन्म तिथि/पूर्ण पता/व्यवसाय/पद/ मोबाइल नं./दूरभाष क्र./ईमेलआईडी/आधार क्रमांक प्राप्त सदस्यता शुल्क का विवरण।

धारा–16 **संरक्षक मण्डल :–(रूल्स धारा –57)**

1– **मुख्य संरक्षक :–**

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य संघ के मुख्य संरक्षक पद के लिए महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश सादर आमंत्रित किये जावेगे ।

संरक्षक मंडल –

संरक्षक मण्डल में निम्न मंत्री आमंत्रित किये जा सकेगें ।
आदिवासी विकास विभाग, अनुसूचित जाति विभाग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, गृह विभाग, युवा एवं खेलकूद विभाग, राजस्व विभाग, महिला बाल विकास विभाग, वित्त विभाग, कौशल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, अथवा जो राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित हो।

2– **उप संरक्षक :–**

संस्था की राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा निर्धारित सहायता या दान देने वालों को उप संरक्षक के रूप मे आमंत्रित किया जा सकेगा ।

3– राज्य संघ के अध्यक्ष द्वारा अन्य किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो संस्था के हितैषी है राज्य परिषद को अवगत कराते हुये उन्हें उप संरक्षक मनोनीत किया जा सकेगा।

4– राज्य शासन के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी को भी उप–संरक्षक बनाया जा सकेगा।

धारा–17 राज्य परिषद का गठन :– (रूल्स धारा –58)

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य की राज्य परिषद मे निम्नलिखित सदस्य होगें।

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष – एक या अधिकतम 12
3. राज्य मुख्य आयुक्त स्काउट
4. तत्काल निवृत्तमान राज्य मुख्य आयुक्त
5. राज्य आयुक्त (कब, स्काउट, रोवर,)
6. राज्य आयुक्त (बुलबुल,गाइड, रेंजर)
7. राज्य आयुक्त स्काउट एवं गाइड (वयस्क संसाधन)
8. राज्य आयुक्त (मुख्यालय) अधिकतम 8
9. राज्य कोषाध्यक्ष
10. राज्य सचिव
11. संयुक्त राज्य सचिव
12. सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट) अधिकतम 8
13. सहायक राज्य आयुक्त (गाइड) अधिकतम 8
14. राज्य संगठनायुक्त (स्काउट)
15. राज्य संगठनायुक्त (गाइड)
16. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)
17. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)
18. समस्त जिला संघों के जिला मुख्य आयुक्त।
19. समस्त जिला आयुक्त (स्काउट) एवं जिला आयुक्त गाइड
20. समस्त लीडर ट्रेनर (स्काउट) वैद्य ऑनरेबल चार्ज प्राप्त।
21. समस्त लीडर ट्रेनर (गाइड) वैद्य ऑनरेबल चार्ज।
22. समस्त जिला सचिव जिलासंघ
23. समस्त संयुक्त जिला सचिव जिलासंघ
24. राज्य युवा समिति से 29 वर्ष से कम 2 युवा सदस्य राज्य मुख्य आयुक्त की अनुशंसा पर अध्यक्ष द्वारा सहयोजित जिनमें एक महिला अनिवार्य है।
25. विशेष आमंत्रित– अध्यक्ष की सलाह पर राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य (किसी विशेष विषय पर परामर्श हेतु)
26. मनोनीत सदस्य अधिकतम 20– राज्य कार्यकारणी सलाह पर राज्य मुख्य आयुक्त की अनुशंसा एवं राज्य संघ के अध्यक्ष द्वारा राज्य संघ के उपयुक्त सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य मनोनीत होगे। जिसमें कम से कम 10 महिला सदस्य होगी। मनोनीत सदस्य निम्नानुसार सदस्यों में से लिये जायेगे जो
   1. मानसेवी सदस्य संगठन में कम से कम 20 वर्ष तक सक्रिय रहें हों ।
   2. प्रदेश में निवासरत सिल्वर एलीफेंट अवार्डधारी।
   3. विगत 3 वर्षो में संस्था को कम से कम 1 लाख का दान किया हो और जो संस्था के उद्देश्य,नीति, नियम, सिद्धांत एवं आचार संहिता का पालन करते हो।
   4. शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, वाणिज्य, कानून, प्रबंधन और सूचना प्रोद्योगिकी एवं तकनिकी में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यवसायिक व्यक्ति जो सस्था के उद्देश्य, नियम नीति, सिद्धांत एवं आचार संहिता का पालन करता हो।
   5. राष्ट्रीय संध के पदाधिकारी एवं अधिकारीगण जो प्रदेश में निवासरत है उन्हें विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।
   6. सामाजिक कार्यकर्ता एवं बाल अधिकार संरक्षण पर कार्य करने वाले विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।
27. सहायक संचालक, मध्य क्षेत्र।

(ब) **निर्वाचक मंडल (इलेक्ट्रोल कालेज) – (रूल्स धारा –59)**

राज्य मुख्य आयुक्त एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचक मण्डल (इलेक्टोल कॉलेज) होगा ।

इलेक्टोल कॉलेज में प्रत्येक जिले से दो प्रतिनिधि होगें जिसमें से एक महिला का होना आवश्यक है एवं निर्वाचन वर्ष में जिले की एक वर्ष पूर्व की वार्षिक गणना के आधार पर मतो का निर्धारण होगा ।

1. प्रत्येक जिला संघ की एक सत्र पूर्व स्काउट/गाइड की पृथक–पृथक गणना के आधार पर प्रति 1000 स्काउट–गाइड की गणना पर स्काउट एवं गाइड विभाग से एक एक (2) प्रतिनिधि होगे। साथ यदि गणना 1000 से कम है तो एक वोट एवं 1000 से अधिक गणना पर अधिकतम 10 मत गणना के अनुपात में होंगे।
2. यह प्रतिनिधि जिला मुख्य आयुक्त एवं जिला कमिश्नर स्काउट/गाइड द्वारा जिला संघ के सदस्यों में से नामांकित किये जाएगें ।
3. संवैधानिक प्रजातांत्रिक मुल्यों को ध्यान में रखते हुए जिले के निर्वाचक मंडल के सदस्य निर्वाचन में व्यक्तिगत रूप से प्रतिभागिता करेंगे।
4. वैतनिक एवं मनोनीत सदस्यों को परिषद् में विचार रखने का अधिकार होगा किन्तु मतदान का अधिकार नही होगा।

धारा–18 **सदस्यों के रिक्त स्थान :–**

राज्य परिषद सदस्य के रिक्त स्थान होने की स्थिति मे नियमानुसार पूर्ति की जा सकेगी।

धारा–19 **राज्य परिषद का कार्यकाल :– (रूल्स धारा –60)**

नव गठित राज्य परिषद का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष का होगा ।

धारा–20 **राज्य परिषद के कार्यकाल मे वृद्धि :–**

विशेष परिस्थिति में जो लिखित रूप से अभिलिखित हो, राज्य परिषद की अवधि अधिकतम 6 माह तक के लिए राज्य कार्यकारिणी की अनुशंसा पर मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त द्वारा बढाई जा सकेगी । ऐसी अनुशंसा राज्य कार्यकारिणी की विशेष बैठक मे सामान्य बहुमत से की जा सकेगी, इस बैठक मे सदस्यों की उपस्थिति कम से कम 50 प्रतिशत होगी। उक्त बढ़ी हुई अवधि मे भी राज्य परिषद का निर्वाचन नही किया जाता है, जो मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त द्वारा राज्य संघ को राजसात कर प्रशासक नियुक्त कराकर 90 दिवस की अवधि में निर्वाचन सम्पन्न कराये जायेगें ।

धारा–21 **राज्य परिषद के अधिकार एवं कर्तव्य :– (रूल्स धारा –61)**

राज्य परिषद भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य संघ का सर्वोच्च सदन होगा, जो संघ के नियम एवं उपनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।

1. संस्था के नियम एवं उप नियम के अनुसार उचित समय पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उपाध्यक्ष, राज्य मुख्य आयुक्त का निर्वाचन कराना।
2. भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य संस्था का वार्षिक बजट पारित करना।
3. संस्था द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक से प्राप्त लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन, बैंलेंस–शीट, संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन।
4. राज्य संघ नियमों, उप नियमों को बनाना और उनमे आवश्यक संशोधन परिवर्तन और परिवर्धन कर उन्हे स्वीकार करना। इस प्रकार बनाए गए नियम तथा उप नियम मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त भारत स्काउट/गाइड नई दिल्ली को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करना।
5. राष्ट्रीय योजना व लक्ष्य के आधार पर राज्य स्तरीय योजना व लक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर तैयार करा कर लागू करना एवं निगरानी करना।
6. भारत स्काउट/गाइड मध्यप्रदेश राज्य संस्था की चल, अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना एवं उसके रख–रखाव की व्यवस्था करना उससे संबंधित क्रय/विक्रय अधिग्रहण समाहन प्रबंध, व्यवस्था तथा गिरवी रखने की व्यवस्था की स्वीकृति देना।

7. स्काउटिंग/गाइडिंग अभियान की सर्वांगीण प्रगति के लिए सुरक्षित धन राशि ब्याज सहित या उधार लेना अथवा देना तथा संस्था की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लाभ के कार्य मे संस्था के उददेश्य, लक्ष्यों की प्राप्ति और प्रगति के लिए अन्य आवश्यक कार्यवाही की स्वीकृति देना।

8. लेखा परीक्षकों (सी.ए.) की नियुक्ति करना एवं उनका मानदेय निर्धारित करना ।

9. भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य संस्था के सुचारू रूप से कार्य करने एवं राज्य मे स्काउटिंग/गाइडिंग अभियान के सघन प्रचार एवं संबंधित विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति देना।

धारा–22 राज्य परिषद की बैठक :–(रूल्स धारा–६१)

1. राज्य परिषद की साधारण वार्षिक बैठक–

1. राज्य परिषद के अध्यक्ष के परामर्श से अथवा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के परामर्श से राज्य परिषद की वार्षिक बैठक प्रतिवर्ष 31 अगस्त के पूर्व आमंत्रित की जावेगी । समय सीमा में बैठक न होने पर कारण सहित लिखित में सूचना मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त को देकर नवीन तिथि की स्वीकृति प्राप्त कर 30 सितम्बर तक बैठक आयोजित की जा सकेगी ।

2. राज्य सचिव इस राज्य परिषद की वार्षिक बैठक की सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व राज्य परिषद के सदस्यों को भेजेगें । इस सूचना में अन्य जानकारी के साथ साथ बैठक की तिथि स्थान व समय तथा 20 दिवस पूर्व बैठक का ऐजेण्डा ईमेल अथवा डाक द्वारा भेजा जावेगा । निर्वाचन वर्ष में 40 दिवस पूर्व बैठक की सूचना भेजी जाना अनिवार्य होगी ।

3. सदस्यों द्वारा कोई भी नवीन प्रस्ताव जो अनुमोदन हेतु भेजा जाना है राज्य परिषद की बैठक से कम से कम 20 दिन पूर्व राज्य सचिव के नाम भेजा जावेगा । राज्य सचिव इन प्रस्तावों पर अध्यक्ष से परामर्श कर उनके द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को ऐजेण्डा में सम्मिलित करने की सूचना बैठक की तिथि से 10 दिन पूर्व राज्य परिषद के सदस्यों को भेजेगें ।

4. बैठक मे 1/10 का कोरम आवश्यक है अथवा परिषद में से कम से कम 20 सदस्य न्यूनतम हो।

5. सभी प्रस्ताव पर सामान्य बहुमत से निर्णय पारित होगा। समान मत होने पर अध्यक्ष को अपने मत के अतिरिक्त एक और मत देने अधिकार होगा।

6. राज्य परिषद के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें। अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे आयु मे वरिष्ठ उपाध्यक्ष परिषद की अध्यक्षता कर सकेगें । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनो के उपस्थित न होने पर सदस्यों मे से एक सदस्य का चुनाव कर उससे अध्यक्षता करायी जा सकेगी।

2. **साधारण राज्य परिषद की बैठक में लिये जाने विषय :–**

1. दिवंगत एवं अनुपस्थित सदस्यों की सूचना ।
2.. पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।
3. पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन पर विचार एवं पुष्टि ।
4. वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्ययोजना की स्वीकृति ।
5. वार्षिक आय–व्यय, लेखा आडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक आय–व्यय पत्रक पर विचार एवं स्वीकृति।
6. वार्षिक बजट पर विचार एवं स्वीकृति।
7. सदस्यों द्वारा राज्य सचिव को 20 दिन पूर्व प्रेषित प्रस्तावों एवं विषयों पर विचार।
8. कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित विचारणीय विषय पर चर्चा ।
9. कार्यालयीन प्रस्ताव
10. अध्यक्ष की अनुमति से प्राप्त प्रस्ताव व अन्य विषय पर चर्चा।

11. पदाधिकारियों के पद रिक्त होने पर उनका निर्वाचन करना ।
12. आडिटर की नियुक्ति व उसका पारिश्रमिक देय तय करना।

धारा–23 राज्य परिषद की साधारण स्थगित बैठक :–(रूल्स धारा–62)

निर्धारित समय से 30 मिनिट तक गणपूर्ति (कोरम) के अभाव मे यदि बैठक प्रारंभ नही हो सकी तो वह स्थगित समझी जावेगी। ऐसी स्थिति मे अध्यक्ष की अनुमति से स्थगित बैठक एक घन्टे बाद उसी स्थान पर आमंत्रित की जायेगी । इस बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) की आवश्यकता नही होगी और इसमे पूर्व प्रसारित कार्यावली मे सम्मिलित विषयों पर ही विचार किया जावेगा, अन्य विषय पर नही।

धारा–24 राज्य परिषद की विशेष बैठक :–(रूल्स धारा–62)

1. राज्य मुख्य आयुक्त या राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा किसी विशेष विषय पर चर्चा हेतु अध्यक्ष राज्य परिषद से परामर्श उपरान्त विशेष बैठक आमंत्रित की जा सकेगी ।
2. राज्य परिषद के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा किसी विशेष विषय में चर्चा करने हेतु लिखित रूप में पत्र देने पर राज्य परिषद की विशेष बैठक बुलायी जा सकेगी ।
3. राज्य परिषद की विशेष बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व राज्य सचिव की ओर से सूचना भेजी जावेगी। इस सूचना मे बैठक का दिन स्थान, समय तथा कार्यावली (ऐजेण्डा) सम्मिलित की जावेगी ।
4. विशेष बैठक की गणपूर्ति के लिए राज्य परिषद के 40 सदस्य या उसके कुल सदस्यों का 1/5 भाग जो भी कम हो अनिवार्य होगा । सचिव राज्य परिषद की सभी बैठकों की कार्यवली का विवरण रिकार्ड करेगें । बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन अध्यक्ष करेगें और उसकी प्रतियॉ सभी सदस्यों को सचिव द्वारा भेजी जावेगी । इस कार्यवाही की पुष्टि राज्य परिषद की अगली बैठक में करायी जावेगी ।
5. विशेष परिस्थिति में आपतकालीन विशेष बैठक की जाती है तो बैठक की 7 दिवस पूर्व ऑनलाईन सूचना दी जावेगी एवं बैठक ऑनलाईन आयोजित होगी । (राष्ट्रीय परिषद बैठक दिनांक 29/11/2020 के अनुसार)।

धारा–25 राज्य संघ कार्यालय के अधिकारी एवं पदाधिकारी :– (रूल्स धारा–63)

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

1– अध्यक्ष
2– उपाध्यक्ष – एक या अधिकतम 12
3– राज्य मुख्य आयुक्त
4– तत्काल निवृत्तमान राज्य मुख्य आयुक्त
5– राज्य आयुक्त (कब, स्काउट, रोवर,)
6– राज्य आयुक्त (बुलबुल, गाइड, रेंजर)
7– राज्य आयुक्त (स्काउट एवं गाइड) (वयस्क संसाधन)
8– राज्य आयुक्त (मुख्यालय) अधिकतम 8
9– राज्य कोषाध्यक्ष
10– राज्य सचिव
11– संयुक्त राज्य सचिव
12– सहायक राज्य आयुक्त स्काउट अधिकतम 8
13– सहायक राज्य आयुक्त गाइड अधिकतम 8
14– राज्य संगठनायुक्त (स्काउट)
15– राज्य संगठनायुक्त (गाइड)
16– राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट
17– राज्य प्रशिक्षण आयुक्त गाइड
18– सहायक राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट
19– सहायक राज्य प्रशिक्षण आयुक्त गाइड
20– सहायक राज्य संगठनायुक्त स्काउट

21– सहायक राज्य संगठनायुक्त गाइड
22– समस्त लीडर ट्रेनर स्काउट– वेद्य ऑनरेबल चार्ज प्राप्त।
23– समस्त लीडर ट्रेनर गाइड – वेद्य ऑनरेबल चार्ज।

धारा–26 अध्यक्ष :– (रूल्स धारा– 64)

1. भारत का कोई भी नागरिक जो मध्यप्रदेश राज्य का निवासी हो तथा जो संघ के लक्ष्य, उददेश्यों एवं नीति नियम मे आस्था रखता हो तथा भारत स्काउट एवं गाइड संगठन का सदस्य हो, वह राज्य परिषद के अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचित हो सकेगा । यह भी की राज्य के राज्यपाल,उप–राज्यपाल, मुख्यमंत्री अथवा अन्य मंत्री अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किये जा सकेंगे।

   मध्यप्रदेश राज्य संघ मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित संस्था है अतः मंत्री स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन पदेन अध्यक्ष होंगे।
2. भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य के अध्यक्ष का कार्यकाल साधारणः एक समय मे पांच वर्ष अथवा राज्य परिषद के कार्यकाल की अवधि तक रहेगा । किसी भी स्थिति मे अध्यक्ष तब तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर उनसे कार्यभार ग्रहण न कर लें।
3. राज्य परिषद की सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जावेगी।
4. अध्यक्ष पद के रिक्त होने की स्थिति मे नवीन अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक आयु मे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेगें।

5.अ–यदि राज्य संघ में किसी नियम के लागू होने में कठिनाई आने अथवा उल्लघंन होने की स्थिति में इसे अध्यक्ष के निर्णय हेतु उनके संज्ञान में लाया जा सकेगा तथा राज्य संघ के नियमानुसार उनके द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

ब–अध्यक्ष के निर्णय पर विवाद की स्थिति में विवादास्पद प्रकारण को मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त को अंतरित किया जा सकेगा मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

स–भारत स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय एवं उसकी शाखाओं अथवा कार्यालय में सभी नियुक्तियॉ अध्यक्ष को संज्ञान में लाते हुये की जाएगी।

द–समस्त प्रकार के नियुक्ति के अधिकार–पत्र अध्यक्ष के परामर्श से जारी किये जायेगें ।

इ–कर्मचारियों व सदस्यों के प्रकरण पर राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा दिये निर्णय के विरूद्ध अध्यक्ष को अपील की जा सकेगी ।

धारा–27 उपाध्यक्ष :–(रूल्स धारा– 65)

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य के उपाध्यक्ष पद पर न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 12 उपाध्यक्ष होंगे, जिनमे छः महिलाएँ होगी । निर्धारित संख्या में महिला अथवा पुरूष का नामांकन नहीं होने पर अन्य वर्ग (महिला/पुरूष) से इसकी पूर्ति की जा सकेगी ।

1– राज्य संघ के सदस्य जिन्होंने जिला संघ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/जिला मुख्य आयुक्त/जिला आयुक्त के पद पर अपनी सेवायें दी है वे राज्य परिषद उपाध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार होगें । उनका निर्वाचन इलेक्ट्रोल कॉलेज(निर्वाचक मण्डल)के सदस्यों द्वारा किया जायेगा । संगठन/विभाग के प्रमुख अथवा राज्य के मंत्री गणों को उपाध्यक्ष के पद पर आमंत्रित किया जा सकता है । अध्यक्ष द्वारा भी दो मानसेवी उपाध्यक्ष को मनोनीत किया जा सकता है जो संघ के विकास में अपना योगदान दे सकते हो । इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा ।

2– उपाध्यक्ष एक–एक संभाग के प्रभारी पदाधिकारी होगें एवं अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगें। इन्हें संबंधित संभाग के जिलें की जिला परिषद की बैठक में आमंत्रित किया जायेगा वे संभाग के विकास कार्य में सक्षम अधिकारी को मार्गदर्शन व सहयोग करेगें ।

3– कार्यकाल :–

उपाध्यक्षों का कार्यकाल साधारण तया पांच वर्ष तक होगा अथवा स्थिति के अनुसार राज्य परिषद के कार्यकाल तक रहेगा।

4– अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे आयु मे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य परिषद की सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करेगें ।

धारा–28 (1) **स्टेट चीफ कमिश्नर (राज्य मुख्य आयुक्त) :–(रूल्स धारा–66)**

राज्य मुख्य आयुक्त का निर्वाचन राज्य निर्वाचक मण्डल (इलेक्ट्रोल कालेज) सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

राज्य मुख्य आयुक्त पद हेतु ऐसे सदस्य प्रत्याशी हो सकते है जो राज्य स्तर पर 3 वर्ष राज्य मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड) के पद का वारंट प्राप्त रहे हो एवं जिला स्तर पर छः वर्ष जिला मुख्य आयुक्त या जिला आयुक्त (स्काउट/गाइड) के रूप में वारंट प्राप्त होकर, पद पर कार्य किया हो ।

यह भी कि संचालक शिक्षा/खेल/आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति/विभाग प्रमुख/मुख्य सचिव शिक्षा/अतिरिक्त सचिव शिक्षा/प्रमुख अथवा अतिरिक्त सचिव को भी आमंत्रित किया जा सकेगा ।

(2) कार्यकाल –

अ– राज्य मुख्य आयुक्त अपने राज्य परिषद अवधि अथवा पांच वर्ष तक या नवीन राज्य मुख्य आयुक्त के निर्वाचन होने तक अपने दायित्व को वहन करेगें ।

ब– राज्य मुख्य आयुक्त के पद रिक्त होने की स्थिति मे राज्य आयुक्त (स्काउट) या राज्य आयुक्त (गाइड) जो भी आयु मे वरिष्ठ होगा राज्य मुख्य आयुक्त का कार्यभार संभालेगे और राज्य मुख्य आयुक्त के निर्वाचन होने तक कार्य करेंगे।

ऐसी स्थिति मे जबकि राज्य मे कोई राज्य आयुक्त (स्काउट) तथा राज्य आयुक्त (गाइड) न हो तो नये राज्य मुख्य आयुक्त के निर्वाचन होने तक राज्य मुख्य आयुक्त का कार्य करने के लिए अध्यक्ष द्वारा भारत स्काउट एवं गाइड राज्य के किसी भी योग्य सदस्य को राज्य मुख्य आयुक्त पद पर नियुक्त किया जा सकेगा । ऐसी स्थिति मे नवीन राज्य मुख्य आयुक्त का निर्वाचन शीघ्र करवाया जावेगा।

स– राज्य मुख्य आयुक्त राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता करेगें एवं वे भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य संघ के मुख्य कार्यकारी प्रमुख होगें ।

(3) राज्य मुख्य आयुक्त के कार्य और कर्तव्य :–(रूल्स धारा–67)

1– राज्य मुख्य आयुक्त राज्य कार्यकारिणी समिति एवं अन्य प्रमुख समितियों की अध्यक्ष होगें ।

2– सभी राज्य आयुक्त स्काउट–गाइड विभाग की नियुक्ति करेगें ।

3– राज्य कार्यकारिणी की अनुशंसा पर राज्य मुख्य आयुक्त विशेष प्रयोजन के लिए स्काउट व गाइड विभाग मे अधिकतम 4 राज्य आयुक्त मुख्यालय स्काउट एवं 4 राज्य आयुक्त मुख्यालय गाइड की नियुक्ति करेगें।

4–. विशेष प्रायोजन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को मनोनीत करेगें ।

5– संबंधित विभाग के राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड) के परामर्श से सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट एवं गाइड) की नियुक्ति करेगें।

6– संबंधित राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड) के परामर्श पर राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) तथा राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड) तथा सहायक राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) को नियुक्त करेंगे।

7– जिले मे जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) सहायक जिला आयुक्त (स्काउट/गाइड) की नियुक्ति संबंधित प्राधिकारी के परामर्श पर नियमों के अन्तर्गत करेगें।

8– राज्य कार्यकारिणी समिति के परामर्श से राज्य सचिव, संयुक्त राज्य सचिव और सहायक सचिव की नियुक्ति निर्धारित सेवा भर्ती पदोन्नति नियमों के अनुसार करेंगे।

9– संबंधित राज्य आयुक्त तथा राज्य कार्यकारिणी समिति के परामर्श से राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट), राज्य संगठन आयुक्त (गाइड), सहायक राज्य संगठनायुक्त (स्काउट/गाइड) की नियुक्ति संबंधित पदों के लिए निर्धारित सेवा भर्ती पदोन्नति नियमों के अनुसार की जावेगी इसी प्रकार राज्य मुख्य आयुक्त अन्य पदों पर भी नियमानुसार नियुक्तियॉ करेंगे।

10– राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य में लक्ष्य पूर्ति हेतु कार्यक्रमों का निर्धारण एवं आयोजन करवाना ।

11– राज्य संघ के नियमों तथा उप नियमों को सुरक्षित एवं लागू करने के लिये प्रतिबद्ध होगें ।

12– भारत स्काउट/गाइड मध्यप्रदेश राज्य संघ की चल एवं अचल सम्पत्ति पर प्रशासकीय नियंत्रण रखना और संस्था के वित्तीय मामलों का उचित प्रबंधन करना।

13– बजट के अनुसार व्यय करने की स्वीकृति देना तथा राज्य कार्यकारिणी द्वारा अतिरिक्त व्यय का निर्धारित सीमा को ध्यान रखते हुए किसी विशेष मद से आवश्यकता से अधिक व्यय स्वीकृति देना और ऐसे अतिरिक्त व्यय के मामलों की राज्य कार्यकारिणी तथा राज्य परिषद द्वारा पुष्टि कराना ।

14– राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उन्हे भेजे गए सभी मामलों की जॉच करना उन पर निर्णय लेना तथा ऐसे प्रकरणों मे की गई कार्यवाही से राज्य कार्यकारिणी समिति को अवगत कराना।

15– स्काउट/गाइड से संबंधित स्वीकृत साहित्य को प्रकाशित करवाना अथवा राष्ट्रीय मुख्यालय से उपलब्ध कराना।

16– राज्य कार्यकारिणी समिति के परामर्श से नियम अनुसार विविध पुरस्कारों एवं अलंकरणो को प्रदत्त करने की व्यवस्था करना और भारत स्काउट/गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय को पात्र व्यक्तियों को अलंकृत करने के लिए अपनी अनुशंसाए अग्रेषित करना।

17– एक या अधिक राज्य आयुक्तों को आवश्यकतानुसार अपने कार्यों का दायित्व सौपना।

18– राज्य आयुक्त (कब/स्काउट/रोवर/बुलबुल/गाइड/रेंजर/वयस्क संसाधन (स्काउट/गाइड) को छोडकर शेष राज्य एवं जिला स्तर पर उनके द्वारा नियुक्त आयुक्तों को नियमानुसार नियुक्ति पत्र जारी करना एवं निरस्त करना।

19– राज्य आयुक्त (स्काउट विभाग) या राज्य आयुक्त (गाइड विभाग) के पदों पर रिक्त होने की स्थिति मे उनके कार्यों को देखना या उनके कार्यो के सम्पादन की व्यवस्था करना।

20– स्काउट/गाइड ग्रुप एवं स्थानीय, जिला संघो का पंजीकरण स्वीकार कर उन्हें चार्टर प्रदान करना इसी प्रकार स्काउटर्स/गाइडर्स को नियुक्ति पत्र वारन्ट प्रदान करना और जहॉ आवश्यकता हो ऐसे नियुक्ति पत्रों को निरस्त करना।

21– किसी विशेष व्यक्ति/व्यक्तियों को राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक मे तथा अध्यक्ष की अनुमति से राज्य परिषद की बैठक में विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों को आमंत्रित करना।

22– लीडर ट्रेनर और सहायक लीडर ट्रेनर एवं यूनिट लीडर के ऑनरेबल चार्ज/पार्चमेन्ट हेतु आवेदन पर राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) एवं राज्य आयुक्त वयस्क संसाधन (स्काउट/गाइड) से के परामर्श से मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त को अनुसंशा करना।

23– मध्यप्रदेश भारत स्काउट/गाइड के किसी जिला संघ मे किसी भी प्रकार के गंभीर मतभेद लक्ष्यों और उददेश्यों की हानि होने या संस्था के नियम उप नियम या संविधान के विपरीत स्थिति उत्पन्न होने वाले प्रकरणों की जॉच के लिए राज्य मुख्य आयुक्त एक जॉच आयोग नियुक्त करेगा। इस प्रकार गठित जॉच आयोग से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य मुख्य आयुक्त, इस बात पर आश्वस्त होने पर कि आरोप गंभीर एवं सही है तो आवश्यतानुसार ऐसे जिला संघ को लिखित मे कारण बताते हुए भंग कर सकेंगे एवं संबंधित आयुक्तों के वारंट निरस्त किये जावेगें । साथ ही इस प्रकार भंग किए गए संघ का पुनर्गठन करने की दिशा मे आवश्यक कार्यवाही करेगें। राज्य मुख्य आयुक्त राज्य कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक मे ऐसे प्रकरण के संबंध मे अपना विस्तृत प्रतिवेदन भी देंगे।

24– ऐसे सभी कार्य करना और जो राज्य मुख्य आयुक्त के पद के उत्तरदायित्वों की सर्वोत्तम कार्य क्षमता मे सहायक हो सके।

धारा–29 **राज्य आयुक्त (स्काउट / गाइड विभाग) :–(रूल्स धारा–68)**

1– राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा भारत स्काउट / गाइड मध्यप्रदेश राज्य संघ के सदस्यों मे से 4 राज्य आयुक्त (कब, स्काउट, रोवर, वयस्क संसाधन) तथा 4 राज्य आयुक्त (बुलबुल, गाइड, रेंजर, वयस्क संसाधन) की नियुक्ति की जावेगी ।

2– **कार्यकाल :–**

राज्य आयुक्त को पांच वर्ष की अवधि अथवा राज्य परिषद के कार्यकाल तक तथा नियमों के अनुसार मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त द्वारा प्रदत्त नियुक्ति पत्रों में दर्शायी गई विशेष अवधि के लिये नियुक्त किया जा जायेगा ।

3– **राज्य आयुक्त के कार्य :–**

राज्य आयुक्त (कब, स्काउट, रोवर) एवं वयस्क संसाधन तथा राज्य आयुक्त (बुलबुल, गाइड, रेंजर) एवं एवं वयस्क संसाधन अपने अपने शाखा के प्रमुख के रूप में निम्न कार्य करेगें ।

अ– सभी राज्य आयुक्त अपने शाखा से संबंधित सभी कार्य करने मे राज्य मुख्य आयुक्त को सहयोग और सहायता करेगे।

ब– अपने–अपने विभाग मे सहायक राज्य आयुक्त, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त, लीडर ट्रेनर और सहायक लीडर ट्रेंनर की नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा राज्य मुख्य आयुक्त को करेंगे।

स. संबंधित राज्य आयुक्त द्वारा अपनी अपनी शाखाआं के विषयों से संबंधित मामलों को राज्य मुख्य आयुक्त को भेजा जावेगा । वे उस संबंधित शाखा के प्रमुख होगें तथा उससे संबंधित योजना व क्रियान्वयन तथा मुल्यांकन के लिये उत्तरदायी होगें ।

द– किसी भी शाखाओं के अनुभव में सबसे वरिष्ठ राज्य आयुक्त कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष होगें तथा अनुभव आधार पर अन्य वरिष्ठता सह अध्यक्ष होगें शेष आयुक्त सदस्य होगें ।

इ– राज्य आयुक्त स्काउट (वयस्क संसाधन) तथा राज्य आयुक्त गाइड (वयस्क संसाधन) प्रशिक्षण के प्रमुख होकर इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास, योजना व क्रियान्वयन तथा मुल्यांकन के लिये उत्तरदायी होगें । इन दोनों में जो भी अनुभव में वरिष्ठ होगा वह वयस्क प्रशिक्षण समिति एवं वयस्क संसाधन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होगा शेष आयुक्त सह अध्यक्ष होगें ।

धारा–30 **राज्य कोषाध्यक्ष :–(रूल्स धारा–69)**

1– भारत स्काउट / गाइड मध्यप्रदेश के राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर राज्य कोषाध्यक्ष की नियुक्ति अथवा पद मुक्ति राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा की जावेगी ।

2– **कार्यकाल :–**

कोषाध्यक्ष का कार्यकाल एक समय मे पांच वर्ष का होगा अथवा राज्य कार्यकारिणी समिति की कार्यावधि तक चलेगा और वे अपने नए उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक अपने पद पर कार्य करते रहेगें । किसी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति मे राज्य मुख्य आयुक्त तत्काल प्रभाव से राज्य संस्था के किसी योग्य सदस्य को इस पद पर नियुक्त करेगें एवं जिसकी सूचना आगामी कार्यकारिणी में देगें।

3– **कर्तव्य :–**

राज्य कोषाध्यक्ष संस्था का हिसाब–किताब रखेगें और राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत राशियों का उचित व्यय राज्य निधियों और उनकी पंजीयों की सुव्यवस्था आय–व्यय के लेखे जोखे का परीक्षण बैलेन्स शीट बनाने और उसे वित्त समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति और राज्य परिषद मे प्रस्तुत करना आदि सभी वित्तीय कार्य करेगे। राज्य कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत बैकों मे ड्राफ्ट हिसाब लेखे आदि भेजना राशियॉं जमा करने, उनके बैकों कोषालयों से आहरण और वितरण करने और निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए देनदारियों का भुगतान और लेनदारियों की वसूली सभी प्रक्रिया पूरी करने और संस्था के विभिन्न कोषो और वित्त संबंधी सभी कार्यो के लिए राज्य कोषाध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी

समिति राज्य मुख्य आयुक्त और राज्य परिषद के प्रति उत्तरदायी होगें। राज्य कोषाध्यक्ष राज्य संघ के अन्य किसी भी पद से संबद्ध नहीं होगें ।

धारा–31 **राज्य सचिव, संयुक्त राज्य सचिव एवं सहायक सचिव की नियुक्ति :–(रूल्स धारा–70)**

1. मध्यप्रदेश में पद वैतनिक है अतः ये नियुक्तियॉ निर्धारित भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मध्यप्रदेश सेवा भर्ती पदोन्नति नियमों के अनुसार की जाएगी और नियुक्ति आदेशों मे उनका उल्लेख भी किया जावेगा। दोनों में 1 महिला होना अनिवार्य है । पात्रताधारी न होने पर महत्वपूर्ण पदों पर यदि प्रतिनियुक्ति पर अथवा सेवानिवृत्त व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उस पद पर कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जिन्होनें स्काउट/गाइड क्षेत्र मे प्रशंसनीय सेवा की हो अथवा दीर्घ प्रशासकीय अनुभव प्राप्त किया हो।
2. मध्यप्रदेश में पद वैतनिक है अतः ये नियुक्तियॉ निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार की जायेगी और नियुक्ति आदेशों में उनका उल्लेख भी किया जावेगा ।
3. समस्त सचिवों की सेवा–अवधि भर्ती सेवा नियम के अनुसार होगी एवं इन्हें सचिव पद ग्रहण करने के 1 वर्ष में '' सचिव '' कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

धारा–32 **राज्य सचिव के कर्तव्य :–**

1. राज्य सचिव भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य के सक्षम प्रशासन एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

2.अ. राज्य सचिव भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यालय के दैनिक प्रशासन और संस्था के सभी कार्यालयीन कार्यो के प्रति उत्तरदायी होगें एवं कार्यालयीन समस्त पंजीयों एवं अभिलेखों के संधारण के प्रति उत्तरदायी होगें ।

ब. राज्य सचिव वार्षिक प्रगति विवरण और वार्षिक गणना तैयार करेगें।

3. राज्य सचिव राज्य मुख्य आयुक्त की स्वीकृति से भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य संघ मे वैतनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगें। वे ऐसी नियुक्तियॉ या सम्बन्धित पदों के लिए निर्धारित सेवा भर्ती नियमों के अनुसार और निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा करेंगें।
4. राज्य सचिव एवं संयुक्त राज्य सचिव राज्य परिषद और कार्यकारिणी बैठक के सचिव व संयुक्त सचिव होगें जो राज्य परिषद और कार्यकारिणी समिति बैठक के आयोजन, की गई कार्यवाही एवं अभिलेख सुरक्षित रूप से रखेगें और संबंधित अभिलेखों और पंजीयों का निष्पादन करेगें ।
5. राज्य सचिव और संयुक्त सचिव संस्था से सम्बन्धित स्काउट/गाइड विभाग के और अन्य कक्षों के पत्र व्यवहार को देखेगें और ऐसे सभी कार्य भी करेगें जो उन्हे स्टेट चीफ कमिश्नर द्वारा समय–समय पर सौपें जाएँगें।
6. राज्य सचिव एवं संयुक्त राज्य सचिव अपने अपने विभाग की समितियों के संयोजक होगें । राज्य परिषद राज्य कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों की बैठक की कार्यावाही तैयार करेंगें और बैठकों के आमंत्रण पत्र सम्बन्धित सदस्यों को भेजने की व्यवस्था करेंगें।
7. राज्य सचिव राज्य के स्थानीय जिला तथा संभागीय संगठनों को समय–समय पर उनकी सीमा के अनुसार प्रशासकीय तथा वित्तीय आदि समस्याओं पर यथावत सहायता और सलाह देंगें।
8. राज्य सचिव राज्य संघ के सभी प्रकार के प्रकाशनों पत्रिका और पुस्तकों आदि के मुद्रण वितरण और प्रसारण के लिए उत्तरदायी होगे और वे यह काम सम्पादक तथा लेखक आदि की सहायता से पूर्ण करेगें ।
9. संयुक्त राज्य सचिव, राज्य सचिव को उनके सभी कार्यो मे सहायता और सहयोग करेंगें या करेगी उसके अतिरिक्त सम्बन्धित स्काउट/गाइड विभाग के कार्य जो उन्हें सौंपे गए है, उन्हें भी पूरा करेंगे।
10. राज्य सचिव संस्था के राज्य मुख्यालय संभागीय और जिला कार्यालयों मे चलने वाले

प्रशासकीय वित्तीय प्रशिक्षण तथा भण्डार कक्ष की समिति के क्रय–विक्रय आदि सभी के लिए उत्तरदायी होंगे। नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, नवीन नियुक्तियॉ, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अधिनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक, वित्तीय, प्रशिक्षण से सम्बन्धित सभी कार्यो का परीक्षण कराने का सम्पूर्ण दायित्व राज्य सचिव को होगा।

11. आयुक्त लोक शिक्षण एवं संचालक अनु.सूचित जाति व आदिवासी विकास विभाग, राज्य शिक्षा केन्द्र, उच्च शिक्षा इसी प्रकार अन्य विभागाध्यक्ष के साथ भारत स्काउट/गाइड मध्यप्रदेश राज्य शासकीय अधिकारियों से सम्पर्क कर स्काउटिंग/गाइडिंग अभियान से संबंधित सभी कार्य करने का उत्तरदायित्व राज्य सचिव को होगा। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न स्वायत्त निगमों और अन्य संस्थाओं से भी वे सम्पर्क कर संस्था के कार्य कराऐगे। राज्य सचिव को प्रत्येक स्तर के कार्यालयों की वित्तीय स्थिति संतोष जनक बनाए रखने के लिए सभी अधिकार होगे जिसके अन्तर्गत वे आवश्यक होने पर अन्य स्त्रोतो से ब्याज रहित राशिया उधार लेकर निर्धारित समय मे उनके भुगतान करने की व्यवस्था करेंगें। यह कार्य राज्य मुख्य आयुक्त की लिखित अनुमति से करेंगें और कोषाध्यक्ष को भी ऐसे प्रकरणों की सूचना यथा समय देते रहेंगें इस प्रकार संस्था की राशियों का विनियोजन कर वे संस्था की वित्तीय स्थिति को अधिकाधिक लाभदायक और सुदृढ बनाने का कार्य करेंगें।

12. राज्य आयुक्तों एवं उपाध्यक्षों को सौपे गये दायित्वों का सामन्जस्य एवं पर्यवेक्षण कर आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, राज्य मुख्य आयुक्त को अवगत करायेगें ।

धारा–33 सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड) :–(रूल्स धारा–71)

अ– राज्य मुख्य आयुक्त संबंधित स्काउट/गाइड विभाग के राज्य आयुक्त के परामर्श से विशेष कार्यो के लिए या विशेष क्षेत्रों के लिए राज्य परिषद अवधि अथवा अधिकतम पांच वर्ष के लिए सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड) नियुक्त कर सकेंगें। एक अवधि मे अधिक से अधिक गाइड विभाग के आठ और स्काउट विभाग के आठ असि. कमिश्नर नियुक्त किए जा सकेंगें।

ब– सहायक राज्य आयुक्त अपने विभाग(विंग) की तथा राज्य सचिव को उनके कार्यो मे सभी प्रकार का सहयोग और सहायता देगें, इसी प्रकार वे उन्हें सौपे गये कार्यो को निष्पादित करने के लिये राज्य सचिव एवं राज्य मुख्य आयुक्त के प्रति उत्तरदायी होगें । ये नियुक्तियॉ शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग की राज्य, संभागीय व्यवस्थाओं के अनुरूप भी हो सकेगी।

धारा–34 राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) :–(रूल्स धारा–72)

अ– भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता होने पर पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति से नियुक्ति की जावेगी। यदि पूर्व मे प्रशिक्षण प्राप्त न हो तो इन्हें एक वर्ष मे मैनेजमेंट कोर्स मे भाग लेना होगा।

ब– कर्तव्य :–

राज्य संगठन आयुक्त के अपने–अपने विभाग (विंग) संबंधी कर्तव्य रहेगे :–

1– राज्य स्तर पर स्काउट/गाइड अभियान के क्रियाकलापो तथा विभिन्न स्तरीय संगठनों को संगठित करना।

2– राज्य स्तर पर समाज सेवा एवं समुदायिक विकास कार्यक्रम को संचालित करना।

3– राज्य स्तरीय शिविर समारोह, सेमीनार, वर्कशाप रैलियॉ, प्रतियोगिताऍ केम्पूरी आदि आयोजित करना और प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों मे सहायता देना।

4– स्काउट/गाइड अभियान संबंधी साहित्य या उसके अनुवाद ब्रोसर, फोल्डर आदि तैयार करना।

5– राष्ट्रीय लक्ष्यों राज्य की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु योजना तैयार करना, उनके कार्यो का निर्देशन एवं पर्यवेक्षण करना एवं कार्य क्षेत्र मे कार्यरत अन्य संगठन अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का दायित्व होगा।

6– राज्य प्रशिक्षण आयुक्त के कार्यो मे सहायता देना और उनसे समन्वय करते हुए स्काउटर्स/गाइडर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निष्पादन करने मे सामंजस्य स्थापित करना।

7– राज्य आयुक्त (स्काउट) तथा (गाइड) एवं राज्य सचिव के मार्गदर्शन मे अपने विभाग संबंधी सभी कार्यक्रम क्रियाकलाप और उनके संयोजन और निरीक्षण के निष्पादन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।

8– सहायक राज्य संगठन आयुक्त, जिला आयुक्त एवं जिला संगठन आयुक्त स्काउट/गाइड के संगठनात्मक और अन्य कार्यो मे स्काउटिंग/गाइडिंग अभियान की प्रगति को गतिशील बनाने के लिए पारस्परिक समन्वय रखकर उन्हें सहायता देना।

9– संस्था के स्काउटर्स/गाइडर्स अभियान के वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना और सम्बन्धित अधिकारियों से उसे स्वीकृति कराकर उन्हें प्रसारित करना।

10– स्थानीय, जिला स्तर पर संगठनो के निर्वाचन करवाना। इस सम्बन्ध मे अन्य वो मामले या समस्याएँ उत्पन्न हो उनका निराकरण करना।

11– संस्था के विकास को ध्यान मे रखते हुए विभिन्न योजनाओं को तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

12– समय–समय पर सचिव एवं संबंधित राज्य आयुक्त और राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा सौपें गए कार्यो का निष्पादन करना।

13– भारत स्काउट/गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय से प्राप्त विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना।

14– राज्य मे स्काउट/गाइड दलों के समयावधि मे लक्ष्य निर्धारित कर और इस सन्दर्भ मे समय–समय पर उपलब्धियों का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना।

15– राज्य संस्था द्वारा संचालित स्काउट/गाइड अभियान संबंधी सभी कार्यो और प्रवृत्तियों की संख्यात्मक जानकारी एकत्रित कर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करना।

धारा–35 **सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) :–(रूल्स धारा–73)**

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मध्यप्रदेश की निर्धारित भर्ती सेवा नियमों के अन्तर्गत सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) की नियुक्तियाँ की जायेगी । ये चयन राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी होगें एवं प्रक्रिया से अपने विभाग के राज्य संगठन आयुक्त. /राज्य प्रशिक्षण आयुक्त को उनके कार्यों मे सहायता एवं सहयोग देंगें और उन्हें सौपे गए कार्यो को सम्पादित करेगें, जिससे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकें। इन्हें यदि पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो तो एक वर्ष में आर्गनाइजर कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

धारा–36 **राज्य आयुक्त (मुख्यालय आयुक्त) :–(रूल्स धारा–74)**

राज्य मुख्य आयुक्त राज्य कार्यकारिणी के परामर्श से प्रत्येक विभाग मे 4 मुख्य आयुक्त (स्काउट) एवं 4 मुख्यालय आयुक्त (गाइड) विशेष कार्य व दायित्व हेतु नियुक्त करेगें। इनकी अवधि एक समय मे 5 वर्ष से अधिक अथवा राज्य परिषद की अवधि तक होगी।

धारा–37 **राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट एवं गाइड) :–(रूल्स धारा–75)**

अ– स्काउट एवं गाइड विभाग के लिए अलग–अलग राज्य प्रशिक्षण आयुक्त होगें। इसकी नियुक्ति लीडर ट्रेनर अर्हताधारी में से होगी । जो राज्य मुख्य आयुक्त संबंधित राज्य आयुक्त वयस्क संसाधन और कार्यकारिणी की सलाह पर करेंगें। राज्य मुख्य आयुक्त राज्य में सक्रिय लीडर ट्रेनर न होने की स्थिति मे वरिष्ठ सहायक लीडर ट्रेनर को राज्य प्रशिक्षण आयुक्त के पद पर नियुक्त कर सकेंगें। सहायक लीडर ट्रेनर को तत्काल होने वाले लीडर ट्रेनर कोर्स मे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर ऑनरेबल चार्ज प्राप्त करना होगा। राज्य प्रशिक्षण आयुक्त राज्य की प्रशिक्षण टीम का नेतृत्व करेगें तथा राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी होगें ।

58

ब– कर्तव्य :–

राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) के कार्य :–

1– स्कीम आफ ट्रेनिंग (प्रशिक्षण योजना) के अनुसार राज्य मे प्रशिक्षण योजना तैयार करना उसका क्रियान्वयन निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना।

2– अपने आपको संबंधित विभाग के प्रशिक्षण संबंधी सभी आधुनिकतम जानकारी से अवगत रखना साथ ही राज्य प्रशिक्षण टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना।

3– राज्य की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय लक्ष्यों के परिपेक्ष्य मे लीडर ट्रेनर, सहायक लीडर ट्रेनर्स को प्रौढ प्रशिक्षण कोर्स के लिए मार्ग दर्शन एवं सहयोग देना।

4– संबंधित राज्य आयुक्त के अनुमोदन पर राज्य प्रशिक्षण टीम मे प्रशिक्षित योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा करना।

5– राज्य प्रशिक्षण टीम के सदस्यों से परामर्श कर संबंधित उप संचालक (लीडर ट्रेनर) को स्कीम ऑफ ट्रेनिंग मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन तथा परिवर्धन करने हेतु समय–समय पर सुझाव देना।

6– वयस्क लीडर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सहायता पुस्तिका तैयार करना।

7– वर्ष मे कम से कम एक बार राज्य प्रशिक्षण टीम की संगोष्ठी का आयोजन करना। इस अधिवेशन मे राज्य की आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तर के प्रशिक्षणों का कार्यक्रम तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना तथा उसका निरीक्षण एवं मूल्याकंन करना। इस अधिवेशन मे प्रशिक्षण टीम के सदस्यों के कार्यो का गहन परीक्षण एवं मूल्याकंन करना और उनके लिए विभिन्न कार्यो के लक्ष्य निर्धारित करना।

8– राज्य प्रशिक्षण समिति द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्य हेतु नियुक्त करना और इन प्रशिक्षण आयोजन के संबंध मे स्वीकृति एवं मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करना।

9– संबंधित राज्य आयुक्त के माध्यम से जिन प्रशिक्षणार्थियों ने निर्धारित योग्यताएँ पूर्ण कर ली है, उन्हें हिमालय वुड बैज पार्चमेंट और बीड्स तथा गाइडर्स के लिए पिन से पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र भारत स्काउट एवं गाइड को समय–समय पर अनुशसाएँ प्रेषित करना।

धारा–38 सहायक राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) :–(रूल्स धारा–76)

सहायक राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट एवं गाइड) की नियुक्ति राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा सम्बन्धित राज्य प्रशिक्षण आयुक्त की अनुशंसा पर सम्बन्धित राज्य आयुक्त तथा राज्य कार्य कारिणी की सहमति से की जायेगी। सहायक राज्य प्रशिक्षण आयुक्त लीडर ट्रेनर होगा जहाँ लीडर ट्रेनर उपलब्ध न हो वहाँ राज्य मुख्य आयुक्त अस्थाई रूप से वरिष्ठ सहायक लीडर ट्रेनर को सहायक राज्य प्रशिक्षण आयुक्त के पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त कर सकते है तथा उनको इस अवधि मे लीडर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सहायक राज्य प्रशिक्षण आयुक्त का कार्य अपने–अपने विभाग से संबंधित राज्य प्रशिक्षण आयुक्त को सहयोग करना होगा। आवश्यकतानुसार सहायक राज्य संगठन आयुक्त को सहायक राज्य प्रशिक्षण आयुक्त का दायित्व सौंपा जा सकता है ।

धारा–39 राज्य वित्त समिति :–(रूल्स धारा–77)

राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा राज्य कार्यकारिणी की सलाह पर अधिकतम पांच सदस्य के रूप में मनोनीत किये जायेगें जो लेखा अंकेक्षण एवं कर आदि में दक्षता रखते हों।

अ– राज्य कोषाध्यक्ष वित्त समिति के अध्यक्ष होगें एवं राज्य सचिव समिति में सचिव का दायित्व वहन करेगें ।

ब– वित्त समिति संस्था के लिये जन सहयोग से राशियाँ प्राप्त करने की विभिन्न योजनाओं की

समीक्षा करेगी । इसी प्रकार यह समिति आय–व्यय पत्रक, लेखे, वार्षिक पत्रक, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, और बैलेन्स शीट पर विचार कर उसमें आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्धन कर कार्यकारिणी को प्रस्तुत करने के लिये राज्य मुख्य आयुक्त को प्रस्तुत करेगी ।

धारा–40 **राज्य कार्यकारिणी समिति :–(रूल्स धारा–78)**

निम्नलिखित सदस्य होगें :–

1. राज्य मुख्य आयुक्त – 1
2. राज्य आयुक्त (कब/स्काउट/रोवर) – 3
3. राज्य आयुक्त (बुलबुल/गाइड/रेंजर) – 3
4. राज्य आयुक्त (वयस्क संसाधन) (स्काउट/गाइड) – 1+1
5. राज्य आयुक्त (मुख्यालय) – 4+4
6. राज्य कोषाध्यक्ष – 1
7. राज्य सचिव –1
8. संयुक्त राज्य सचिव –1
9. सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट) – 8
10. सहायक राज्य आयुक्त (गाइड) – 8
11. राज्य संगठनायुक्त (स्काउट) – 1
12. राज्य संगठनायुक्त (गाइड) – 1
13. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) –1
14. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड) – 1
15. समस्त जिला मुख्य आयुक्त/जिला आयुक्त (स्काउट/गाइड) – 52
16. समस्त सहायक जिला आयुक्त जहाँ जिला संघ अस्तित्व में नहीं है ।
17. प्रत्येक संभाग से दोनो विभाग की सभी शाखाओं से वैध ऑनरेबल चार्ज धारी वरिष्ठ 1–1 लीडर ट्रेनर अधिकतम– 6
18. राज्य युवा समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
19. क्षेत्रीय सहायक संचालक
20. समस्त उपाध्यक्ष को आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।
21. राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक या एक से अधिक दक्ष व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेंगे।

धारा–41 **राज्य कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल :–(रूल्स धारा–79)**

अ– राज्य कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल की अवधि राज्य परिषद के कार्यकाल की अवधि तक रहेगी। साथ ही किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की स्थिति मे भी राज्य कार्यकारिणी समिति को उसे सौंपे गए समस्त कार्य करने के अधिकार होंगे।

ब– कोई व्यक्ति जो अपने पद अथवा श्रेणी के आधार पर कार्य कारिणी का सदस्य चुना है या चुना गया है वह अपने पद अथवा श्रेणी से वचित हो जाने पर कार्यकारिणी की सदस्यता से भी वंचित हो जाएगा।

स– कार्यकारिणी सदस्यों की रिक्त पदों की पूर्ति नियमों मे निर्धारित प्रक्रिया से अविलम्ब की जावेगी।

द– राज्य मुख्य आयुक्त राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष होंगें और राज्य सचिव कार्यकारिणी समिति के सचिव होगे। :–**(रूल्स धारा–80)**

धारा–42 **राज्य कार्यकारिणी समिति के अधिकार और कर्तव्य :–(रूल्स धारा–81)**

1. राज्य कार्यकारिणी समय–समय पर क्षेत्र या क्षेत्रों के पुनः निर्धारण के फलस्वरूप स्थानीय, जिला संघ का गठन और पुर्नगठन कर उनका पंजीयन करेगी।
2. राज्य कार्यकारिणी जिला संघों की वार्षिक सम्बद्वता और पंजीकरण के नियम तथा शुल्क की राशियों का निर्धारण कर पंजीकृत करेगी ।

3. राज्य कार्यकारिणी समिति स्काउट/गाइड की इकाइयॉ स्वतंत्र (ओपन) स्काउट और गाइड तथा रोवर्स/रेंजर्स दलों, वेन्चर क्लब का पंजीकरण करेगी।
4. राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत स्काउट/गाइड मध्यप्रदेश राज्य एवं उसकी सभी इकाइयों की चल/अचल सम्पत्तियों कोषो और राशियों पर नियंत्रण रखा जाएगा और उनका प्रबन्ध किया जाएगा।
5. राज्य कार्यकारिणी समिति संस्था का वार्षिक बजट वार्षिक लेखा परीक्षण पत्रक, वार्षिक बैलंसशीट और वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदित कर राज्य परिषद को उसकी स्वीकृति के लिए अनुशंसित करेगी।
6. राज्य कोषाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु अनुशंसा।
7. आवश्यतानुसार संस्था के समय अनुसार राज्य के उप नियमों मे संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन तथा विलोपीकरण करना और उन्हें राज्य परिषद तथा नेशनल कमिश्नर भारत स्काउट/गाइड की अभिस्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
8. राज्य मुख्य आयुक्त की अनुशंसा पर 7 सदस्यी ट्रस्टी का गठन करना जिसमें राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य आयुक्त (स्काउट), आयुक्त, राज्य आयुक्त (गाइड), पदेन सदस्य एवं शेष 4 सदस्य संगठन के आजीवन सदस्यों में से होगें । जिनका कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष अथवा परिषद कार्यकाल तक होगा ।
9. संस्था की समस्त अथवा कुल चल/अचल सम्पत्ति का संरक्षण किया जायेगा ।
10. जब कोई रिक्त मृत्यु अथवा त्याग पत्र या पदच्युत होने की स्थिति में होगी । नये सदस्यों की नियुक्ति राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा की जावेगी ।
11. भर्ती/पदोन्नति और सेवा नियम तैयार करेगी राज्य कार्यकारिणी समिति संस्था के विभिन्न पदो को स्वीकृति करेगी और समय-समय पर उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण की अनुशंसा शासन को करेगी।
12. निर्धारित नियमों के अनुसार अंलकरणों और पुरस्कारों के लिए अनुशंसा करना साथ ही नवीन पुरस्कारों और अलंकरणों का निमार्ण कर उनके नियम और विवरण आदि की व्यवस्था करना।
13. जिला, संस्था की संस्थागत एवं व्यक्तिगत वार्षिक पंजीकरण शिविर आदि तथा शुल्क की राशियॉ निर्धारित करना।
14. स्काउट/गाइड विभिन्न समिति का गठन करना आवश्यकतानुसार किसी भी कार्य के लिये उप समिति का गठन करना एवं विलोपित करना।
15. आवश्यक होने पर स्काउट-गाइड विभाग में पृथक पृथक सत्कार अधिकारी की नियुक्ति करना । जो विदेशी तथा अन्य राज्यो के प्रतिनिधियों के आगमन तथा देखरेख का कार्य करेगा ।
16. स्काउटिंग/गाइडिंग अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा संस्था मे सर्वागीर्ण विकास और प्रगति के लिए सभी प्रयत्न करना और ग्रुप, जिला, और राज्य स्तर पर समान उद्देश्यों और लक्ष्यों में सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना ।
17. राष्ट्रीय लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरूप प्रदेश के लक्ष्य एवं उद्देश्य एवं नीति का निर्धारण कर ग्रुप स्तर तक विकसित करना ।
18. भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य संस्था से सम्बन्धित सभी प्रकरणों पर विचार कर आवश्यकतानुसार नियम तथा उप नियम बनाना।
19. सदस्यता समाप्ति पर विचार करना ।
20. राज्य कार्यकारिणी समिति को अपने किसी अधिकार और कार्य को भारत स्काउट/गाइड मध्यप्रदेश राज्य संस्था के अधिकारियों को उनकी समिति बनाकर निर्धारित कार्य पर

निर्धारित शर्तो पर निर्धारित समयावधि मे करने के अधिकार है वह इन प्रदत्त किए गए अधिकारियों को वापिस भी ले सकेगी।

धारा–43 राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक :–(रूल्स धारा–82)

1– राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठके वर्ष मे कम से कम 2 बार होनी चाहिए। राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा आवश्यकता होने पर राज्य कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक आयोजित की जा सकेगी।

2– राज्य कार्यकारिणी समिति बैठक की गणपूर्ति के लिए कम से कम छः जिला संघ प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक होगी, ।

3– बैठक के निश्चित समय से आधे घण्टें पश्चात तक गणपूर्ति न हो सके तो उक्त बैठक स्थगित कर दी जावेगी। यह स्थगित बैठक एक घन्टे पश्चात् उसी स्थान और समय पर आयोजित की जा सकेगी। इस बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नही होगी और उपस्थिति सदस्य उस कार्यावली पर विचार कर निर्णय करेगें जो उन्हें पूर्व मे प्रसारित की है। इसी स्थगित बैठक मे कार्यावली के अतिरिक्त अन्य विषयों पर निर्णय नही लिया जाएगा।

4– राज्य सचिव राज्य कार्यकारिणी की बैठको की सूचना भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की बेबसाइट www.bsgmp.net एवं मेल द्वारा निर्धारित तिथि से कम से कम 10 दिवस पूर्व भेजेगें । इस सूचना मे बैठको की तिथि समय और कार्यावली संलग्न की जावेगी।

5– राज्य मुख्य आयुक्त राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। राज्य मुख्य आयुक्त की अनुपस्थिति मे बैठक की अध्यक्षता सेवा मे वरिष्ठ राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड) करेंगे यदि राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड) दोनो ही अनुपस्थित हो तो राज्य कार्यकारिणी के उपस्थित सदस्य किसी भी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेगे और इस प्रकार चुने गए व्यक्ति द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

6– राज्य मुख्य आयुक्त की दृष्टि मे अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले और तुरन्त निपटाए जाने वाले आवश्यक मामले तत्संबंधी टिप्पणियों सहित राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रसारित कर बहुमत से निर्णय किए जाऐगे ऐसे मामलों का विस्तृत विवरण कार्यकारिणी समिति को अपनी आगामी बैठक मे प्रस्तुत करेगी।

7– कार्यकारिणी के सचिव कार्यकारिणी बैठकों की कार्यावाही का विवरण रिकार्ड करेंगे। इस कार्यवाही का अनुमोदन राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाएगा उनके अनुमोदन के पश्चात कार्यवाही की प्रतियॉ सचिव द्वारा कार्यकारिणी के सदस्यों को भेजी जावेगी इस कार्यावाही की पुष्टि कार्यकारिणी की अगली बैठक मे की जावेगी।

8– राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक मे अध्यक्ष द्वारा यह घोषित किए जाने पर कि कोई भी प्रस्ताव पारित या बहुमत से पारित हो गया है बैठक की कार्यवाही के मिनिट बुक मे इस आशय की प्रविष्टी को इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण माना जायेगा।

9. विशेष परिस्थिति में आपतकालीन विशेष बैठक की जाती है तो बैठक की सूचना 3 दिवस पूर्व ऑनलाईन दी जावेगी एवं बैठक ऑनलाईन आयोजित होगी । (राष्ट्रीय परिषद बैठक दिनांक 29/11/2020 के अनुसार)।

विवाद :–

1. संस्था से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर कार्यकारिणी अध्यक्ष का साधारण सभा मे बहुमत प्रणाली से सुलझाने का अधिकार होगा यदि इस निर्णय से पक्षों को संतोष न होता वह अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संस्था द्वारा संचालित समितियों के विवाद अथवा कार्यकारिणी मे विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष को होगा।
2. संस्था मे किसी प्रकार की गम्भीर वित्तीय या प्रशासकीय अनियमित कार्य मे बाधा उपस्थित किए जाने के सम्बन्ध मे कार्यकारिणी के अध्यक्ष का समाधान हो जाने पर अध्यक्ष का यह अधिकार होगा की वह कार्यकारिणी समिति को भंग कर दे।

3. ऐसी स्थिति मे संस्था मे किसी जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति निर्धारित कार्य का निर्धारित अवधि मे सम्पन्न करने के लिए प्रशासक के रूप मे करने का राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त को अधिकार होगा। राज्य कार्यकारिणी भंग करने की तिथि से तीन माह की अवधि मे प्रशासक द्वारा नियमानुसार कार्यकारिणी समिति का पुर्नगठन किया जायेगा।

धारा–44 **वयस्क संसाधन प्रबंधन समिति** :–(रूल्स धारा–83)

राज्य स्तर पर स्काउट एवं गाइड विभाग की वयस्क संसाधन प्रबंधन समिति का गठन राज्य कार्यकारिणी अनुमोदन पर राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा किया जावेगा

अ– वयस्क संसाधन प्रबंधन समिति :–

1. राज्य आयुक्त स्काउट (मुख्यालय),
2. सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट / गाइड)
3. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड)
4. राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
5. जिला आयुक्त (स्काउट / गाइड) 6 जिसमें 3 महिला आवश्यक है।
6. जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) 6 जिसमें 3 महिला आवश्यक है।
7. युवा समिति से 1 पुरूष व 1 महिला
8. राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा मनोनीत आमंत्रित सदस्य

ब– बैठक संयुक्त रूप से आयोजित की जावेगी । जिसकी अध्यक्षता राज्य आयुक्त (वयस्क संसाधन) स्काउट / गाइड में जो भी वरिष्ठ हो उनके द्वारा की जावेगी एवं दूसरा उपाध्यक्ष होगा एवं वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) समिति का संयोजक होगा । उक्त समिति समय समय पर वयस्क संसाधन एवं प्रबंधन के सर्वागीण विकास एवं योजना राज्य मुख्य आयुक्त को राज्य कार्यकारिणी एवं परिषद हेतु प्रस्तुत करेगी ।

धारा– 45 **राज्य कार्यक्रम समिति :–(रूल्स धारा– 84)**

स्काउट–गाइड विभाग की संयुक्त समिति होगी जिसकी अध्यक्षता अनुभव में वरिष्ठ राज्य आयुक्त द्वारा की जावेगी । समिति में

1. राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड),
2. समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड),
3. समस्त जिला संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
4. राज्य मुख्य आयुक्त मनोनीत राज्य द्वारा युवा समिति से 1 पुरूष 1 महिला सदस्य होगें । समिति के संयोजक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट / गाइड में से (उम्र में वरिष्ठ)होंगे। कार्यक्रम समिति राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य के निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु कार्यक्रमों की समीक्षा, मुल्यांकन व प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार करेगी । बैठक प्रतिवर्ष माह अगस्त में आयोजित की जावेगी ।

धारा– 46 **राज्य प्रशिक्षण समिति :–(रूल्स धारा– 85)**

राज्य प्रशिक्षण समिति में राज्य आयुक्त वयस्क संसाधन (स्काउट / गाइड), की अध्यक्षता में समिति गठित होगी जिसमें वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) संयोजक होंगे। समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे।

1. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड),
2. समस्त सहायक राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड)
3 समस्त जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड)
4. युवा समिति से 1 पुरूष 1 महिला प्रतिनिधि (रा0मु0आ0) द्वारा मनोनीत सदस्य होगें । समिति की बैठक माह अगस्त में आयोजित होगी जिसमें समिति में राष्ट्रीय व राज्य स्तर के लक्ष्यपूर्ति अनुसार वयस्क प्रशिक्षण योजना, कार्यक्रम की समीक्षा, मुल्यांकन की पूर्ति हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम व योजना तैयार कर कार्यकारिणी हेतु प्रस्तुत करेगें ।

धारा–47 **राज्य युवा समिति :–(रूल्स धारा– 86)**

राज्य स्तर पर राज्य युवा समिति गठित होगी जिसमें जिला युवा समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य होंगे जिनकी आयु 16 से 29 वर्ष के मध्य की होगी । राज्य युवा समिति

में उक्त से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जिसमें एक महिला होगी, राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा मनोनीत किये जायेगें । समिति सदस्यों में से एक सचिव के रूप में मनोनीत होगें । इनकी कार्य अवधि राज्य परिषद की अवधि तक होगी । युवा समिति राज्य स्तर के लक्ष्यपूर्ति हेतु युवा कार्यक्रम तैयार कर प्रस्ताव राज्य कार्यक्रम समिति को अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करेगी । युवा समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी होगें।

धारा–48 **राज्य परिषद के उपाध्यक्ष तथा राज्य मुख्य आयुक्त के निर्वाचन की विधि :–**

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश के राज्य परिषद के उपाध्यक्ष तथा राज्य मुख्य आयुक्त के निर्वाचन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1. उपाध्यक्ष तथा राज्य मुख्य आयुक्त के पदों के निर्वाचन के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का इलेक्ट्रोल कॉलेज (निर्वाचक मण्डल) द्वारा नियमों और उप नियमों के अनुसार राज्य परिषद की बैठक मे निवार्चित किया जावेगा।
2. राज्य सचिव जो निर्वाचन अधिकारी होंगे उनके द्वारा पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए जो बैठक आमंत्रित की जाएगी उसकी सूचना बैठक की निधार्रित तिथि से कम से कम 40 दिन पूर्व इलेक्ट्रोल कॉलेज (निर्वाचक मण्डल) के सदस्यों को भेजी जावेगी। इस सूचना मे सदस्यों की नवीन सूची बैठक की तिथि स्थान, समय तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यावलियों का उल्लेख होगा। इस सूचना मे निर्वाचन के लिए नामांकन प्राप्त करने की तिथि उन्हे मुख्यालय मे भेजने की तिथि नामांकन पत्रों की जांच की तिथि प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि आवश्यक होने पर निर्वाचन की तिथि दी जावेगी।
3. भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य के उपाध्यक्षों और राज्य मुख्य आयुक्त के पदों के लिए ऐसे ही व्यक्तियों को निवार्चन हेतु नामांकित किया जा सकेगा जो नियमानुसार हों। संस्था के लक्ष्यों और उददेश्यों मे विश्वास और आस्था रखते हो साथ ही जिन्होने स्काउटिंग/गाइडिंग अभियान की प्रगति मे सराहनीय योगदान किया हो तथा संस्था के सदस्य हों ।
4. पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए निर्धारित नामांकन पत्र प्रसारित किये जायेगें। पदाधिकारियों के नामांकन पत्र के प्रस्तावक और समर्थक इलेक्ट्रोल कॉलेज (निर्वाचक मण्डल) के सदस्य होगे और नामांकन पत्रों पर उनके हस्ताक्षर अनिवार्य होगें तथा आधार नंबर एवं आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करेंगे।
5. नामांकन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् राज्य सचिव जो निर्वाचन अधिकारी होगा के नाम से निर्वाचन बैठक को तिथि से कम से कम 20 दिन पूर्व पहुॅच जाना चाहिए।
6. जो नामांकन पत्र निर्धारित प्रपत्र मे नही होगा अथवा निर्धारित समय और तिथि तक निर्वाचन अधिकारी के पास नही पहुॅचेगा अथवा जिसमे प्रत्याशी के रूप मे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम अंकित होगा जो उस पद के लिए योग्यता नही रखता अथवा ऐसे नामाकंन जिन पर प्रस्ताव या समर्थन के रूप मे किसी ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो जो ऐसे प्रस्ताव या समर्थक करने की योग्यता नही रखते उन्हें निरस्त समझा जावेगा।
7. निर्वाचन अधिकारी गठित परीक्षण समिति के माध्यम से नामांकन पत्रों की जॉच निर्धारित तिथियों मे करेंगे और त्रुटिपूर्ण नामांकन पत्रों को निरस्त घोषित करते हुए स्वीकृत नामांकन पत्रों की सूची तैयार कर राज्य मुख्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगें।
8. कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने के लिए निर्धारित तिथि और समय तक अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना अथवा ईमेल से निर्वाचन अधिकारी को देकर अपना नाम वापस ले सकेगा।
9. नाम वापस लेने की तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी विभिन्न पदों के प्रत्याशियों की सूची तैयार कर उसे राज्य मुख्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा और यह सूची संबंधित प्रत्याशियों को भेजी जाएगी।
10. यदि सम्यक रूप से प्रत्याशियों की संख्या निर्वाचन के लिए घोषित सीटों की संख्या के बराबर हो तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित कर देगा और अन्य रिक्त स्थानो के लिए निर्वाचन की नियमानुसार व्यवस्था करेगा।-

52

11. यदि विभिन्न पदों के प्रत्याशियों की संख्या निर्वाचन के लिए घोषित संख्या से अधिक हो तो राज्य परिषद की बैठक मे उन पदों के लिए निर्वाचन किया जाएगा और ऐसा निर्वाचन मत पत्रों द्वारा सम्पन्न होगा।
12. निर्वाचन के लिए प्रत्येक निर्वाचक मण्डल के सदस्य का मत गणना के आधार पर मत होगा । निर्वाचन में मतदाता के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान नहीं किया जा सकेगा एवं निर्वाचन के समय आधार कार्ड अथवा अन्य वैद्य पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा ।
13. मत पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकृत चिन्ह अंकित किया जाएगा और अधिकृत मत पत्र में जिसमें प्रत्याशियों के अल्फाबेट के आधार पर नाम होगें निर्वाचन के उपयोग मे लाया जाएगा। अनाधिकृत मत पत्रों की मतगणना के समय अवैध करार दिया जावेगा।
14. निर्वाचन अधिकारी मतदान का समय और स्थान निश्चित करेगा। निर्वाचन के लिए तैयार की गई पृथक पंजी मे मतदाता सदस्यों के नाम अंकित रहेगें जिन्हें यह मतपत्र जारी किए जाएंगे मतपत्र प्राप्त करने पर सदस्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान करेगा।
15. निर्वाचन के लिए निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी विभिन्न पदो के लिए रखी गई मत पेटियों मे से मत प्राप्त कर उनकी गणना कराएगा मत गणना के लिए ऐसे व्यक्तियों की सहायता ली जावेगी जो स्वतः प्रत्याशी या प्रत्याशियों के प्रस्तावक या समर्थक न हो।
16. यदि उपाध्यक्ष या राज्य मुख्य आयुक्त के पद के लिए तीसरी अथवा अधिक बार पदावधि के लिए उसी व्यक्ति को नामांकित किया जाता है तो उसे सामान्य बहुमत प्राप्त करने पर ही निवार्चित घोषित किया जाएगा।
17. संस्था के किसी भी वैतनिक अधिकारी/कर्मचारी एवं मनोनीत सदस्यों को राज्य परिषद व राज्य कार्यकारिणी के निर्वाचन मे भाग लेने अथवा मतदान करने का अधिकार प्राप्त नही होगा, वह मात्र परिषद, कार्यकारिणी का पदेन सदस्य होगा, जो अपना अभिमत दे सकेगें, प्रस्ताव के निर्णय पर कोई वोट नही दे सकेगें, ।
18. भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश के समस्त अधिकारी/कर्मचारी (संविदा सहित) स्काउटिंग के निर्वाचन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगें ।

1. बैलेट पेपर निम्न परिस्थतियों में अमान्य माने जाएगें।

19.1. निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी मतपत्र एवं प्रदत्त सील का उपयोग नहीं किया गया हो।
2. मतपत्र पर हस्ताक्षर अथवा कोई अतिरिक्त चिन्ह अंकित किये जाने पर।
3. मतपत्र पर निर्धारित स्थान पर सील न लगी होने पर अथवा निर्धारित संख्या से अधिक सील लगी होने पर।
4. दो प्रत्याशियों के नाम मध्य सील लगी होने पर।
5. मतगणना पश्चात बहुमत प्राप्त होने पर विजय प्रत्याशी की घोषणा निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

20. समान वोट प्राप्त होने पर निर्णय लाटरी ड्रा द्वारा किया जाएगा।

नोट– निर्वाचन में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर अंतिम निर्णय मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त भारत स्काउट एवं गाइड नई दिल्ली का होगा।

धारा–49 भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की निधियों तथा वित्त संबंधी व्यवस्थाएँ :–

1. राज्य कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन संस्था के राज्य मुख्य आयुक्त, कोषाध्यक्ष और राज्य सचिव संयुक्त रूप मे लेखों का संचालन करेगें। इस खण्ड के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति को एसोसिएशन की ओर सरकार अथवा अन्य सिक्यूरिटियों की खरीद बिक्री पृष्ठांकन या हस्ताक्षरण अथवा नवीनीकरण के लिए आवेदन करने तथा ऐसी सिक्युरिटियों पर ब्याज लाभांश अथवा अन्य सिक्युरिटियों पर धन जमा करने निकालने या उधार लेने और संस्था की चल अचल सम्पत्ति की देखभाल करने और उसका किराया वसूल करने की शक्ति होगी, परन्तु सिक्युरिटियों को खरीदने बेचने अथवा संस्था की सम्पत्ति पर धन उधार लेने की शक्ति का प्रयोग केवल राज्य कार्यकारिणी समिति के पूर्व प्रस्ताव के पश्चात ही किया जा सकेगा।

51

2. राज्य संस्था एवं उसकी इकाइयों की चल–अचल सम्पत्ति से सम्बधित सभी हस्ताक्षर व अभिलेख अन्य प्रलेख एसोसिएशन के नाम पर होगें और उन पर राज्य मुख्य आयुक्त तथा राज्य सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएगें।

3. एसोसिएशन को अपनी सम्पत्ति से जो कुछ भी आय होगी। वह पूरी तरह से एसोसिएशन के उदेदश्यों जैसे कि इन नियमों और राज्य एसोसिएशन के नियमों मे वर्णित है संर्वधन के लिए प्रयुक्त की जावेगी और उसका कोई भी अंश उन व्यक्तियों को जो किसी भी समय राज्य एसोसिएशन के सदस्य है या रहे है अथवा उनमे से किसी को व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को बोनस के रूप मे अथवा अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त अथवा हस्तांतरित नही किया जावेगा।

4. इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत एसोसिएशन की चल तथा अचल सम्पत्ति यदि वह न्यातियों मे निहित न हो तो और सब प्रकार की सिविल अथवा अपराधिक प्रक्रियाओं मे उसके मुख्य नाम द्वारा एसोसिएशन के रूप मे वर्णित होगी। चल तथा अचल सम्पत्ति राज्य कार्यकारिणी मे निहित समझी जाएगी और सब प्रकार की सिविल तथा अपराधिक प्रक्रियाओं मे चल तथा अचल सम्पत्ति भारत स्काउट/गाइड मध्यप्रदेश राज्य के स्वामित्वाधिकार मे समझी जाएगी।

5. संस्था एवं उसकी इकाइयों को चल एवं अचल सम्पत्ति एवं निधियों एवं वित्त के अनुरक्षण के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति की ऐसी शर्तो पर जैसी कि इस संबंध मे राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा निर्धारित की जाए एक सम्मानित अथवा वेतनभोगी वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति कर सकेगी।

6. संस्था के हित मे यदि अत्यंत आवश्यक हो तो उसके पंजीकृत उपनियम मे संशोधन करने का अधिकार राज्य परिषद को होगा, जिसकी स्वीकृति राष्ट्रीय आयुक्त से ली जाना आवश्यक होगी। संशोधन संस्था की साधारण सभा की बैठक मे कुल सदस्यों के 2/3 के मतों से पारित होगा।

7. संस्था का कोई सदस्य अथवा संस्था अधिकारी या कर्मचारी संस्था का धन चुराता है या गबन करता है अथवा जान बूझकर या दुर्भावनावश संस्था की किसी सम्पत्ति को नष्ट करता या कराता है, उसे हानि पहुँचाता है या पहुँचवाता है अथवा कोई विलेख बॉण्ड सिक्यूरिटी या धन की पावती अथवा अन्य प्रलेखों या लेखों की कूट रचना करता है और संस्था की निधियों अथवा वित्तीय प्रकार की हानि होती है तो उस पर मुकदमा चलाए जाने और उस समय प्रवृत दाण्डिक कार्यवाही नियमों या उप नियमों द्वारा संचालित होगी। जहाँ इस तरह के प्रावधान न होगें वहाँ रूल्स और आर्डर के द्वारा कार्यवाही संचालित होगी।

8. मध्यप्रदेश राज्य मे विभिन्न स्तरों मे संगठित स्काउट/गाइड संस्था की शाखाओं द्वारा स्काउट/गाइड कार्यक्रम संचालित एवं संगठित किए जाते है जिन्हें चलाने के लिए उन्हें दान स्वरूप अचल सम्पत्ति मकान जमीन आदि प्राप्त है या स्थानीय सहयोग से ऐसी अचल सम्पत्ति प्राप्त है इसी प्रकार इन संस्थाओं अथवा इकाई के पास चल सम्पत्ति जैसे तम्बू, छोल दारियॉ, उपकरण उपस्कर मशीने इत्यादि भी है। इस प्रकार की सभी चल–अचल सम्पत्तियों पर भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. राज्य का स्वात्वाधिकार होगा।

धारा–50 **समय–समय पर राष्ट्रीय परिषद द्वारा रूल्स में किये गये संशोधन यथावत मान्य होगें ।**

अध्यक्ष एवं राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा अनुमोदित।

(अशोक जनवदे)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

21/7/22
R. K. Kaushik
Director
THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate
New Delhi-110002

Dr. K. K. [illegible]
Chief National Commissioner